

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक : 29.06.2018

आदेश

डा. रिकु बरवाड, चिकित्सा अधिकारी (गायनी) जो वर्तमान में निदेशालय में पेशी पूर्ण करने के उपरान्त आदेशों की प्रतीक्षा में है, का पदस्थापन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रोहट, पाली में रिक्त पद पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय/मा. राज्य मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल/ निजी /रक्षित पत्रावली
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावे।

(मोहन लाल वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: संस्था/चि0अ0/एटी/प.02/2018/53

दिनांक : 2/07/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-संबंधित।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित।
3. डॉ0 रिकु बरवाड, चिकित्सा अधिकारी (गायनी) को आज मध्याह्न पश्चात कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करे।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट/संबंधित की ई-मेल आई.डी. पर डलवाना सुनिश्चित करावे।
6. निजी/आदेश पत्रावली।

(निदेशक (जन स्वास्थ्य))
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।